न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 89/2016

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

रघुवीरसिंह पुत्र लालसिंह जी जाति राजपूत निवासी दुदोड तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली(राज.)

1. उगमाराम पुत्र मूलाराम जाति देवासी
2. जब्बरसिह पुत्र लालसिंह
3. महेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण दुदोड तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
5. भूमिधारी तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री महावीरसिंह, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29.11.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राज काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद संख्या 10/2014 में रघुवीरसिंह बनाम उगमराम वगैरा में सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 की पैतृक आराजी है। अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक वाद वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 मृतक लालचन्द के जाईन्दा पुत्र है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने पैतृक आराजी में से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 873 रकबा 6.9593 हेक्टर व खसरा संख्या 873 /1291 रकबा 0.1644 हैक्टर कुल रकबा 7.1197 हेक्टयर भूमि का जरिये बंटवाडा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम का नामान्तरण करवा दिया। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा उक्त आराजी को बाले–बाले प्रतिवादी संख्या 01 का दिनांक 19.05.2011 को जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विक्रय विलेख बेचान कर दिया। उक्त आराजी पैतृक आराजी होने से उक्त बेचाननाम शून्य एवं निष्प्रभावी है। इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत वाद को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा उक्त बेचाननामे का निरस्त करवाने एवं सम्पूर्ण आराजी का विधिक बंटवाडा कराने का आश्वासन देकर नोट प्रेस में खारिज करवा दिया। किन्तु अपीलांट द्वारा इस सम्बन्ध कोई कार्यवाही न करने पर अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण पैतृक आराजी में अपीलांट का 1/5 हिस्सा घोषित करवाने बाबत घोषणा वाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट दूदोड में अपने निर्णय दिनांक 19.05.2015 द्वारा रेस ज्युडिकेटा के आधार पर खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत वाद मेरिट पर निर्णित न होकर राजीनामा के आधार पर जरिये विडोल खारिज हुआ था। उक्त आराजी के सम्बन्ध में गुणवागुण पर कोई निर्णय आदिनांक तक पारित नहीं दिया गया है। साथ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट दूदोड की पेशी के सम्बन्ध में अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। जिससे अपीलांट को विधिसम्मत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र मुकदमों की संख्या बढाने के लिये बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर अपील रिमांड फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2015 को जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध दिनांक 28.09.2016 को हाजा न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। जो कि 4 माह 8 दिन पश्चात प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा उक्त विलम्ब का कोई सार्थक कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अत अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 02.08.2011 को पारिवारिक समझौता इकरारनामा हो चुका है। उक्त इकरारनामे पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। उक्त इकरारनामे के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 873 रकबा 6.9593 हेक्टर व खसरा संख्या 873 /1291 रकबा 0.1644 हैक्टर कुल रकबा 7.1197 हेक्टयर भूमि का नामान्तरण भरा गया। एवं अपीलांट द्वारा उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेचान की गई। अपीलांट द्वारा उक्त बेचाननामे के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित हुए जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक वाद वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 की पैतृक आराजी है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 मृतक लालचन्द के जाईन्दा पुत्र है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने पैतृक आराजी में से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 873 रकबा 6.9593 हेक्टर व खसरा संख्या 873 /1291 रकबा 0.1644 हैक्टर कुल रकबा 7.1197 हैक्टयर भूमि को जरिये बंटवाडा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम का

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नामान्तरण करवा दिया। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा उक्त आराजी को बाले–बाले प्रतिवादी संख्या 01 का दिनांक 19.05.2011 को जरिये विक्रय विलेख बेचान कर दिया। उक्त आराजी पैतृक आराजी होने से उक्त बेचाननाम शून्य एवं निष्प्रभावी है। इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पूर्व में प्रस्तुत किया, जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा उक्त बेचाननामे का निरस्त करवाने एवं सम्पूर्ण आराजी का विधिक बंटवाडा कराने का आश्वासन देकर नोट प्रेस में खारिज करवा दिया। किन्तु अपीलांट द्वारा इस सम्बन्ध कोई कार्यवाही न करने पर अपीलांट द्वारा सम्पूर्ण पैतृक आराजी में अपीलांट का 1/5 हिस्सा घोषित करवाने बाबत घोषणा वाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट दूदोड में अपने निर्णय दिनांक 19.05.2015 द्वारा रेस ज्युडिकेटा के आधार पर खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश न्याय आपके द्वारा के तहत कैम्प दूदोड में पारित किया गया है। अब हस्तगत प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह उद्भूत होता है कि क्या न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में बिना पक्षकारान की उपस्थिति एवं आपसी राजीनामे के निर्णय किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise " and "settlement"- The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon " The word "compromise " implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" आर.आर.टी 2018(1) के पैरा नम्बर 4, 5, 6, 7 के अनुसार " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 230– लोक अदालत में वाद खारिज किया– प्रतिवादीगण की तामील हेतु मामला लम्बित था– वादी को सूचित किये बर्गर प्रकरण जसनगर शिविर में रखा–लोक अदालत के शिविर में तकनीकी आधार पर मामल खारिज करना अवैध है व 2000/– रूपये खर्चे पर अपास्त किया।" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा **सहमति** नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है,

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। उपरोक्त कारणों से हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आशिंक स्वीकार की जाती है। एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2014 उनवानी रघुवीरसिंह बनाम उगमाराम वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2015 अपास्त किया जाकर इस निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली